प्रेस –विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–6/2018/190/64–2–2018–1(68)/2006 दिनॉक 27.02.2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को गत वित्तीय वर्ष 2018–19 से ऑनलाइन संचालित है।

भारत सरकार की अधिकृत संस्था "निलिट" से मान्यता प्राप्त जनपद स्तर पर कार्यरत 'ओ' लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु इच्छुक नवीन एवं पुरानी संस्थाओं द्वारा विभागीय बेवसाइट http://backwardwelfare.up.nic.in एवं obccomputertraining.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर दिनॉक 20 जून से 26 जून, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना एवं मान्यता से सम्बन्धित अभिलेखों व आधारभूत ढॉचे का विवरण अपलोड करने के साथ हार्डकॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, 10 वॉ तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर के कार्यालय विकास भवन कमरा नं0–204 में उपलब्ध कराया जाना है। आनलाइन आवेदन पत्र से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों व आधारभूत ढॉचें का विवरण अपलोड करने के साथ दिनॉक 26 जून,2020 की सांय 5:00 बजे के पूर्व समस्त अभिलेखों की हार्डकॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने के उपरान्त आवेदन पत्र पूर्ण माना जायेगा, तथा आवेदन पत्र मान्य किया जायेगा। अभिलेखीय सत्यापन तथा संस्था की आधारभूत संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा। विस्तृत दिशा–निर्देश/समय सारिणी उक्त बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है।

ह0

(जगत भूषण श्रीवास)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर।

पत्रांक 24 /पि0व0क0/प्रेस विज्ञप्ति/ओ–लेवल एवं सी0सी0सी0/2020–21/दिनॉक 16 जून,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1– निदेशक, महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, महोदय रामपुर।
3– मुख्य विकास अधिकारी, महोदय रामपुर।
4– उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
5– सहायक सूचना निदेशक, रामपुर को 10 प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति समस्त हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में जनहित में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6– सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनहित में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
8– जनपद रामपुर में संचालित भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विभागीय बेवसाईट पर दिनॉक 20.06.2020 से 26.06.2020 तक संस्था का पंजीकरण उक्त के दृष्टिगत निर्धारित तिथि में करना सुनिश्चित करें।

16/6/2020

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।